

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु० न० १२/१९

तारीखरजु:- 17-10-19

उनवान:- सोहनलाल बनाम नत्थी वगै०

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

दिनांक	फर्द अहकाम
17/10-19	<p>प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि में सायलान को प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकरिमकता को देखते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि दिनांक 14.11.2019 तक विवादग्रस्त आराजी ख० न० 198/0.01, 199/0.31, 200/0.09, 201/971/0.03, 342/0.50, 342/978/0.01, 343/0.11, 344/0.09, 345/0.17, 347/977/0.03, 348/0.04, 386/983/0.01, 390/0.08, 391/0.07, 392/0.16, 626/0.58, 627/1183/0.18, 716/0.58, 717/1064/0.34, 723/1065/0.03, कुल कित्ता 20 कुल रकवा 3.42 है० ग्राम बदलेटा-खुर्द-तहसील टोडाभीम जिला करौली में प्रार्थी के रिकार्ड में दर्ज हिस्से की आराजी पर कब्जा कप्त में बाधा पैदा नहीं करने हेतु पाबन्द किया जाता है।</p> <p>प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ-साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस अण्य का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नहीं होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अन्तरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है में परिवर्तन की द्शा में संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 14.11.2019 को पेश हो।</p>

5084-89
17-10-19

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टोडाभीम जिला-करौली

दिनांक	फर्द अहकाम
20 ⁸ / ₂₄	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील व प्रार्थी कोई उपस्थित नहीं हुआ। बार-2 आवाज डिलाई गई। कोई उपस्थित नहीं हुआ। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अर्साई निषेधाज्ञा अडम हाजिरी एवं अडम पैरवी में खारिज विप्रा जाता है। पत्रावली पेशल शुक्रार होकर नम्बर से कम होकर दारिखल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">(5)</p>